

छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल
पुराना नर्सिंग हास्टल, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
रायपुर, छत्तीसगढ़



क्रमांक/रजि० नर्सिंग कां०/2023/767
प्रति,

रायपुर, दिनांक 17/4/2023

समस्त शासकीय/निजी
जी.एन.एम. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र (छ.ग.)

विषय:- छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा आयोजित 38वीं काउन्सिल मुख्य/पूरक परीक्षा, पाठ्यक्रम जी.एन.एम. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष, के नियमित छात्रों के पुनर्मूल्यांकन(Re-Evaluation)/पुनर्गणना (Re-totaling) की सूचना बाबत।

--:000::--

छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा आयोजित (38वीं काउन्सिल मुख्य/पूरक परीक्षा) के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन फार्म भरने कि अंतिम तिथि 24/04/2022 है।

पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदन - पत्र संबंधी प्रक्रिया के निर्देश निम्न है :-

1. समस्त प्राचार्या/परीक्षार्थी, काउन्सिल द्वारा पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु निर्धारित नियमों व निर्देशों का पालन करते हुए पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन करे।
2. छात्र अपना आवेदन पत्र सोच समझकर सही सही भरे। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. आवेदन केवल प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्या द्वारा सत्यापित कर एवं संस्था के माध्यम से ही छ.ग. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल की ओर प्रेषित करें।
4. जिन परीक्षार्थियों के नकल प्रकरण बनाये गये हैं वे परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना हेतु पात्र नहीं होंगे।
5. जी.एन.एम. परीक्षाओं के परिणाम पश्चात् नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित छात्र निम्नानुसार पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना करवाने के पात्र होंगे।
 - (अ) जी.एन.एम. प्रथम, द्वितीय वर्ष के नियमित छात्र जो दो विषय में उत्तीर्ण हो।
 - (ब) जी.एन.एम. तृतीय वर्ष के नियमित छात्र जो एक विषय में उत्तीर्ण हो।उक्त पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना प्रायोगिक (Practical) व आंतरिक (Internal) प्राप्तांक पर लागू नहीं होगा।
6. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित नियमों के आधार पर पात्रतानुसार स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।
 - (अ) पूरक/ए.टी.के.टी की श्रेणी से सम्मिलित द्वितीय पूरक परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जावेगे।

Cont....

7. आवेदक को पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना में से किसी एक ही आवेदन की पात्रता होगी।
8. पुनर्मूल्यांकन आवेदन हेतु टी.आर.शीट/ऑनलाईन पेमेंट की प्रतिलिपि लगाना अनिवार्य है।
9. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना शुल्क 500 ₹. प्रति विषय केवल Online Payment Mode द्वारा ही मान्य होगा।
10. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. परीक्षार्थियों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना परिणाम की सूचना/जानकारी संबंधित संस्था के माध्यम से Website - www.cgncr.org के माध्यम से प्राप्त होगी।
12. परीक्षार्थियों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना परिणाम घोषित होने के एक माह के अंदर संबंधित परीक्षा (यदि उनके परिणाम घोषित नहीं हुए हो तो) काउन्सिल को अवगत कराना आवश्यक है, ताकि इस संबंध कार्यवाही किया जा सके।
13. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के लिए छात्रों द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किये जाने पर मान्य नहीं किया जायेगा।

- नोट:-
1. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना केवल नियमित परीक्षार्थियों के लिये ही लागू होगा।
 2. शेष पूरक एवं ए.टी.के.टी. विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि दिनांक 15/05/2023 होगी।



रजिस्ट्रार Registrar

छ.ग. नर्सिंग रजि. काउन्सिल C.G. Nurses Reg. Council

रायपुर, छ.ग. Raipur (C.G.)

रायपुर, दिनांक / / 2023

क्रमांक/रजि० नर्सिंग का०/2023/
प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, छ.ग. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आवक-जावक शाखा, स्थानिय कार्यालय की ओर सादर सूचनार्थ।
3. वेबसाईट प्रति।



रजिस्ट्रार

छ.ग. नर्सिंग रजि. काउन्सिल

रायपुर, छ.ग.